राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विकास विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 60(4)/ग्रा.वि./नरेगा/सा.अंके./वॉल पे./2009–10 जयपुर दिनांक 10 MAR 20

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय : महानरेगा में पारदर्शिता के तहत आम जनता को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु की जानी वाली कार्यवाही के संबन्ध में नवीन निर्देश।
प्रसंग : इस विभाग के समसंख्यक पत्रांक एफ4 (4)/ग्रावि/नरेगा/ग्रुप–3/सा. अंके/2009 दिनांक 20.04.2009

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 तक रोजगार उपलब्ध करवाये गये समस्त परिवारों का विवरण मय मजदूरी भुगतान एवं सामग्री के उपयोग तथा उस पर व्यय की गयी राशि की सूचना दिनांक 30.04.2010 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत की सहज दृष्ट्या दीवारों पर निम्न प्रारूप में लिखवाना सुनिश्चित करवाएं।

भविष्य में वित्तीय वर्ष 2010–11 से मजदूरी भुगतान का विवरण त्रैमासिक रूप से (क्वार्टरली) लिखवाना सुनिश्चित करवाएं। वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास की सूचनाओं का विवरण अंकित किया जावें।

ग्राम.......................ग्राम पंचायत....................पंचायत समिति....................जिला...........................

महात्मा गांधी नरेगा में लाभान्वित परिवारों का विवरण

क.स.	श्रमिक का नाम	पिता/पति का नाम	जॉब कार्ड संख्या	वर्ग (SC/ST/ BPL/ Other	वित्तीय वर्ष 2010–2011........................ (प्रथम / द्वितीय / तृतीय /चतुर्थ) त्रैमास तक			
					उपलब्ध करवाए रोजगार दिवसों की संख्या	भुगतान की गयी राशि	व्यक्तिगत अन्य लाभ मेड़बन्दी/कुऑ इन्दिरा आवास/ वृक्षारोपण/अन्य	व्यक्तिगत लाभ हेतु भुगतान की गयी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर सरपंच **हस्ताक्षर सचिव**

* उपरोक्त सूचना इस प्रकार से लिखवायी जायें कि कॉलम संख्या 1 से 5 को हर वर्ष दुबारा नहीं लिखवाना पड़े। कॉलम संख्या 6 से 9 तक को वित्तीय वर्ष में प्रत्येक त्रैमास में अद्यतन (अपटूडेट) किया जावें।

D:\Rajesh Saini\Shekhawat ji\General.doc

गत वर्षो में यह अनुभव किया गया है कि एक पंचायत में औसत रूप से वर्ष पर्यन्त 600 परिवारों को महानरेगा में नियोजित किया जाता है। अतः प्रत्येक डिस्प्लें (प्रदर्शित) बोर्ड की न्यूनतम चौड़ाई 4 फुट के मध्य एवं आवश्यकतानुसार लम्बाई होवें, परन्तु एक बोर्ड में 100 से ज्यादा परिवारों का अंकन नहीं किया जावें। सूचना लिखे जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि अंकित की जाने वाली सूचना प्रयुक्त समस्त मस्टररोल अनुसार (ग्राम रोजगार रजिस्टर संख्या–7) होवें।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष पर्यन्त प्रयुक्त सामग्री का विवरण निम्न प्रारूप में प्रत्येक ग्राम पंचायत की सहज दृष्टया दीवारों पर लिखवाना सुनिश्चित करवाएं। वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में उपयोग में ली गयी सामग्री मात्रा व उस पर व्यय राशि को मिटा कर उसके स्थान पर समाप्त होने वाले त्रैमास की सूचनाओं का विवरण अंकित किया जावें।

ग्राम........................ग्राम पंचायत......................पंचायत समिति......................जिला............................

महात्मा गांधी नरेगा में कार्यवार उपयोग में ली गयी सामग्री का विवरण
वित्तीय वर्ष 2010–2011

क.स.	कार्य का नाम	कार्य का यूनिक कोड न.	कार्य हेतु स्वीकृत राशि	उपयोग में ली गयी सामग्री का विवरण आईटम की संख्या एवं राशि .... (प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ) त्रैमास तक								इस कार्य पर वर्षपर्यन्त कुल व्यय		
				सीमेन्ट		बजरी		पत्थर		अन्य		श्रम	सामग्री	कुल
				बैग	दर प्रति बैग	ट्रोली	दर प्रति ट्रोली	ट्रोली	दर प्रति ट्रोली	नग	दर प्रति नग			
1														
2														
3														

हस्ताक्षर सरपंच **हस्ताक्षर सचिव**

उक्त प्रपत्र में सूचना का अपडेशन प्रत्येक त्रैमास के अन्त पर अंकित किया जावें, सूचना का कार्यवार आधार परिसम्पति एवं संचयी व्यय रजिस्टर (रजिस्टर संख्या–12) रखा जावे।

भवदीय

5/3/10

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव,
(ईजीएस)

प्रतिलिपि–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला परिषद, समस्त राजस्थान को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

परियोजना निदेशक एवं उपसचिव
(ईजीएस)

D:\Rajesh Saini\Shekhawat ji\General.doc